



102744 - किसी ऐसे व्यक्ति को सामान बेचना जो क्रेडिट कार्ड से भुगतान करता है, साथ ही बैंक को कमीशन भुगतान करता है जिसे सामान की कीमत में जोड़ दिया जाता है

प्रश्न

मैं एक कंपनी में अकाउंटेंट के रूप में काम करता हूँ जिसके कई [REDACTED] [REDACTED], जिसमें बिक्री प्रक्रिया में सभी बैंकों के वीज़ा और मास्टर कार्ड उपयोग किए जाते हैं। प्रत्येक बिक्री प्रक्रिया पर बैंक हमसे लगभग 2% से 3% तक कमीशन लेता है, जिसे हम बैंक के खर्च के रूप में दर्ज करते हैं और उसे खरीदे जाने वाले सामान की कीमत में जोड़कर, हम उसे ग्राहक से वसूल करते हैं। प्रश्न यह है कि : क्या इन उपकरणों का उपयोग करना शरई दृष्टिकोण से अनुमेय है? अगर यह अनुमेय नहीं है, तो क्या इसके उपयोगकर्ता को यह माना जाएगा कि वह सूद को सुविधा प्रदान करता है? क्या हम बैंक खर्च के रूप में जो दर्ज करते हैं, वह वास्तव में सूद को लिखना है?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

पहला :

क्रेडिट कार्ड जारी करने और उसका उपयोग करने में कोई आपत्ति की बात नहीं है, यदि वह शरई निषेधों से मुक्त है, जैसे कि देर से भुगतान करने की स्थिति में ब्याज वसूलना, या रकम की निकासी पर प्रतिशत लेना ; क्योंकि यह निषिद्ध रिबा (ब्याज) में शामिल है।

कुछ इस्लामिक बैंकों ने ऐसे क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं जो इन निषेधों से मुक्त हैं।

दूसरा :

विक्रेता के लिए इन कार्डों का उपयोग करके खरीदार से सामान की कीमत वसूल करने में कोई हर्ज की बात नहीं है, चाहे वह कार्ड शरीयत के अनुसार स्वीकार्य हो या निषिद्ध हो। जहाँ तक निषेधों से मुक्त धर्मसंगत कार्ड का संबंध है, तो उसका मामला स्पष्ट है। रही बात निषिद्ध कार्ड की, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें निषिद्ध चीज़ का पाप बैंक और ग्राहक पर है, और विक्रेता को इससे कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि उसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति को बेचना जायज़ है जिसने ब्याज के साथ उधार (ऋण) लिया है, और सूद का पाप उस पर है, जो उसका करने वाला है।



तीसरा :

विक्रेता के लिए बैंक को कमीशन का भुगतान करना जायज़ है, लेकिन इस शर्त के साथ कि वह उसे खरीदार से चार्ज न करे। बल्कि वह उसे सामान उसी तरह बेचे, जैसे वह किसी ऐसे व्यक्ति को बेचता है जो नकदी के साथ खरीदता है।

क्रेडिट कार्ड के बारे में इस्लामिक फिक्ह काउंसिल के फैसले में कहा गया है : “जारीकर्ता बैंक के लिए व्यापारी से ग्राहक की खरीद पर कमीशन लेना जायज़ है, बशर्ते कि व्यापारी कार्ड के साथ उसी कीमत पर बेचे, जिस कीमत पर वह नकदी के साथ बेचता है।” उद्धरण समाप्त हुआ। इस निर्णय का पूरा पाठ प्रश्न संख्या : (97530) के उत्तर में देखें।

उत्तर का सारांश यह है कि : आपके लिए सभी प्रकार के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बेचे गए सामान की कीमत वसूल करना जायज़ है, तथा इस लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंक को कमीशन का भुगतान करना भी जायज़ है, बशर्ते कि कमीशन की राशि खरीदार से वसूल न की जाए।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।